झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

डब्ल्यू.पी.(एस) संख्या 5769/2015

....

गणेश तुरी, छोटन तुरी के पुत्र, ग्राम नवाडीह, डाकघर और थाना- नवाडीह, जिला-बोकारो

... .**याचिकाकर्ता**

बनाम

1. केंद्रीय कोलफील्ड्स लिमिटेड, इसके अध्यक्ष cum प्रबंध निदेशक, दरभंगा हाउस, डाकघर और थाना- कोतवाली, जिला- रांची
2. महाप्रबंधक, केंद्रीय कोलफील्ड्स लिमिटेड, ढोरी क्षेत्र, डाकघर- जारंगडीह, थाना- कटारा, जिला- बोकारो
3. परियोजना अधिकारी, केंद्रीय कोलफील्ड्स लिमिटेड, अमलो परियोजना, ढोरी क्षेत्र, डाकघर- जारंगडीह, थाना- कटारा, जिला- बोकारो
4. वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी, केंद्रीय कोलफील्ड्स लिमिटेड, अमलो परियोजना, ढोरी क्षेत्र, डाकघर- जारंगडीह, थाना- कटारा, जिला- बोकारो
5. क्षेत्रीय आयुक्त, कोल माइनस प्रोविडेंट फंड, क्षेत्र- III, रियादा बिल्डिंग, डाकघर और थाना- नामकुम, जिला- रांची

.... प्रतिवादी

कोरम : न्यायमूर्ति सुजित नारायण प्रसाद

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री अभिजीत कुमार सिंह, अधिवक्ता

सीसीएल की ओर से : श्री मुकेश बिहारी लाल, अधिवक्ता

सीएमपीएफ की ओर से : श्री प्रशांत विद्यार्थी, अधिवक्ता

12/दिनांक: 17.02.2024

1. यह याचिका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर की गई है, जिसमें याचिकाकर्ता ने सीसीएल से डाकघर- रिटायरल लाभ की भुगतान के लिए निर्देश की मांग की है, जिसमें रिटायरमेंट की तिथि 30.06.2008 मानी जाए, यानी ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण, पेंशन, जुलाई 1995 से जून 2008 तक का वेतन/मजदूरी, बोनस और अन्य देय लाभ, साथ ही सीएमपीएफ से रिटायरमेंट की तिथि 30.06.2008 के आधार पर भविष्य निधि के बकाया भुगतान का निर्देश देने की मांग की है।

2. इस मामले में जो मुद्दा उठ रहा है, वह रिटायरमेंट लाभ और सीएमपीएफ राशि के बकाए से संबंधित है। यह राशि यद्यपि रिटायर याचिकाकर्ता की आयु के आधार पर भुगतान की गई है, जिसे सी.सी.एल ने 07.06.1948 स्वीकार किया है, क्योंकि याचिकाकर्ता की सेवा रिकॉर्ड में उपलब्ध जन्म तिथि के अनुसार याचिकाकर्ता की सामान्य सेवानिवृत्ति आयु 30.06.2008 है।

3. यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि जन्मतिथि से संबंधित विषय औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10(1)(d) के तहत संदर्भ के रूप में एक विवाद में परिणत हो गया है। उक्त विवाद का निपटारा निर्णायक, अर्थात् औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा संदर्भ वाद संख्या 58/1998 में किया गया, जिसमें संदर्भ, अर्थात्...

"क्या अमलो प्रोजेक्ट, सीसीएल के प्रबंधन द्वारा श्री गणेश तुरी, टी.आर. कर्मचारी को सेवानिवृत्त करने की कार्रवाई, उनकी जन्मतिथि को फ़ॉर्म 'बी' रजिस्टर, सीएमपीएफ अभिलेख आदि के अनुसार संशोधित न करके, कानूनी और उचित है? यदि नहीं, तो उक्त कर्मचारी किस प्रकार की राहत पाने का हकदार है?"

4. उक्त संदर्भ का उत्तर याचिकाकर्ता श्रमिक के पक्ष में दिया गया।

5. सीसीएल, उक्त पुरस्कार से असंतुष्ट होकर डब्ल्यू.पी.(एल) संख्या 235/2014 याचिका दायर की, लेकिन उक्त याचिका को खारिज कर दिया गया।

6. सीसीएल, डब्ल्यू.पी.(एल) संख्या 235/2014 दिनांक 06.07.2019 में पारित आदेश से असंतुष्ट होकर एल.पी.ए. संख्या 109 of 2020 दायर की। उपरोक्त पत्रीय अपील एल.पी.ए. संख्या 109 of 2020 भी खारिज कर दी गई और न्यायमूर्ति एकल द्वारा डब्ल्यू.पी.(एल) संख्या 235/2014 में पारित आदेश में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया गया।

7. याचिकाकर्ता के लिए अधिवक्ता श्री अभिजीत कुमार सिंह ने प्रारंभ में ही कोर्ट का ध्यान लोक अदालत की कार्यवाही की ओर आकर्षित किया, जिसमें सेटलमेंट के समय सीसीएल ने यह तर्क दिया था कि जन्म तिथि का मुद्दा इस समय उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच में एल.पी.ए. संख्या 109 of 2020 में विचाराधीन है और इस कारण से यह मुद्दा निपटाया नहीं जा सकता।

8. हालांकि, जहां तक सीएमपीएफ राशि का सवाल है, लोक अदालत द्वारा पारित आदेश में यह दर्ज किया गया है कि सीएमपीएफ प्राधिकरण ने पहले ही कोल माइनस प्रॉविडेंट फंड एक्ट, 1948 के अनुसार प्रॉविडेंट फंड और पेंशन की अदायगी की है।

9. जब यह मामला लिया गया, तो याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने इस कोर्ट की डिवीजन बेंच द्वारा एल.पी.ए. संख्या 109 of 2020 में पारित आदेश की प्रति प्रस्तुत की, जो इस कोर्ट की समन्वय बेंच द्वारा डब्ल्यू.पी.(एल) संख्या 235/2014 में पारित निर्णय का विषय था, ताकि यह दिखाया जा सके कि उक्त पत्रीय अपील को खारिज कर दिया गया है और 06.07.2019 को डब्ल्यू.पी.(एल) संख्या 235/2014 में पारित आदेश को पुष्टि किया गया है।

10. यह प्रस्तुत किया गया कि अब पुरस्कार को डिवीजन बेंच तक उच्च न्यायालय द्वारा पुष्ट किया गया है, अतः याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति तिथि को 30.06.2008 माना जाएगा, इस प्रकार सेवानिवृत्ति तिथि को जुलाई 1995 के रूप में मानते हुए जो लाभ दिया गया था, उसे अब 30.06.2008 के रूप में समझा जाएगा और इस प्रकार 1995 से 30.06.2008 तक का पूरा बकाया सीसीएल द्वारा भुगतान

किया जाना चाहिए, जहां तक डाकघर रिटायरमेंट लाभ और उस अवधि में उत्पन्न अन्य वैध दावों का सवाल है।

11. आगे यह प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता को वही राहत मिलनी चाहिए, जैसा कि प्रॉविडेंट फंड राशि से संबंधित है, क्योंकि जो भी राशि पहले दी गई है, वह सेवानिवृत्ति तिथि के आधार पर दी गई है और अब जब सेवानिवृत्ति तिथि 30.06.2008 तय हो गई है, तो प्रॉविडेंट फंड राशि का अंतर और पेंशन लाभ, जो 30.06.2008 के आधार पर है, भी सीएमपीएफ प्राधिकरण द्वारा याचिकाकर्ता को दिया जाना चाहिए।

12. श्री मुकेश बिहारी लाल, सीसीएल के लिए अधिवक्ता ने हालांकि तथ्यात्मक पहलू को स्वीकार किया है, जहां तक पुरस्कार के डिवीजन बेंच तक पुष्टि करने का सवाल है, लेकिन उन्होंने तकनीकी मुद्दा उठाया कि यह पुरस्कार उच्च न्यायालय द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत लागू नहीं किया जा सकता है।

13. उन्होंने यह प्रस्तुत किया कि औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत सेक्शन 29 के माध्यम से एक उपयुक्त अपराध न्यायालय में आपराधिक मामला दायर करने का प्रावधान है, इसलिए उन्होंने वैकल्पिक उपायों की उपलब्धता के आधार पर वर्तमान रिट याचिका की पात्रता पर प्रश्न उठाया, जैसा कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 29 के तहत आपराधिक अभियोजन दायर करने का प्रावधान है।

14. श्री प्रशांत विद्यर्थी, सीएमपीएफ के लिए अधिवक्ता, ने याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति तिथि को 30.06.2008 मानते हुए सीएमपीएफ खाता और पेंशन लाभ के रूप में दी जाने वाली राशि के बारे में किसी भी विवाद को नकारते हुए यह प्रस्तुत किया।

15. इस न्यायालय ने पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुना है, अभिलेख में उपलब्ध संबंधित पक्षकारों की दलीलों का अवलोकन किया है और प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विचार करने के उपरांत, अब सर्वप्रथम औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 29 के तहत उपलब्ध वैकल्पिक उपाय के आधार पर रिट याचिका की स्वीकार्यता को लेकर उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति की जांच करने की प्रक्रिया में है।

16. कानून यह स्पष्ट करता है कि वैकल्पिक उपाय के आधार पर रिट याचिका को खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय को रिट याचिका सुनवाई करने से कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, बल्कि यह तथ्य और परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि उच्च न्यायालय किस प्रकार की न्यायिक शक्ति का उपयोग करेगा।

17. इस स्थापित विधि-सिद्धांत का आधार भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 की विषय-वस्तु है, जो संविधान की मूल संरचना पर आधारित है, जिसके तहत अनुच्छेद 226 के अंतर्गत निहित शक्ति के प्रयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। बल्कि, यदि न्याय की घोर विफलता होती है, तो उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत प्रदत्त अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना होता है। इस संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गोदरेज सारा ली लिमिटेड बनाम उत्पाद शुल्क और कराधान अधिकारी-सह-आकलन प्राधिकारी और अन्य, (2023) एससीसी ऑनलाइन एससी 95 में दिए गए निर्णय का उल्लेख किया जा सकता है, जिसमें पैराग्राफ-4, 6 से 8 में निम्नलिखित निष्कर्ष दिया गया है:-

> *"4. प्रश्नों का उत्तर देने से पहले, हम अनुच्छेद 226 के तहत निहित रिट शक्तियों के प्रयोग पर कुछ शब्द कहना आवश्यक समझते हैं, क्योंकि हमने उच्च न्यायालयों द्वारा पारित कुछ ऐसे आदेश देखे हैं, जिनमें केवल इस आधार पर रिट याचिकाओं को 'अस्वीकार्य' माना गया कि संबंधित विधियों द्वारा प्रदत्त वैकल्पिक उपायों को याचिकाकर्ता द्वारा अपनाया नहीं गया है। अनुच्छेद 226 के तहत विशेषाधिकार प्राप्त रिट जारी करने की शक्ति सर्वव्यापी प्रकृति की है। ऐसी शक्ति के प्रयोग पर कोई भी सीमा केवल संविधान में ही निहित हो सकती है। इस संबंध में अनुच्छेद 329 और इसी प्रकार की भाषा वाले अन्य अनुच्छेदों का संदर्भ लिया जा सकता है। अनुच्छेद 226 स्वयं किसी भी प्रकार का प्रतिबंध या शक्ति के प्रयोग पर कोई रोक नहीं लगाता। यद्यपि यह सही है कि जिस विधि के तहत कोई कार्यवाही उत्पन्न हुई है, उसी विधि के अंतर्गत उपलब्ध उपाय होने के बावजूद रिट शक्ति का प्रयोग सामान्य रूप से नहीं*

किया जाना चाहिए, फिर भी केवल यह तथ्य कि उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता ने अपने लिए उपलब्ध वैकल्पिक उपाय का उपयोग नहीं किया, इसे याचिका खारिज करने का आधार नहीं बनाया जा सकता। यह एक स्थापित सिद्धांत है कि उच्च न्यायालयों को प्रत्येक मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह विवेकाधिकार प्राप्त है कि वे रिट याचिका को स्वीकार करें या नहीं। न्यायिक दृष्टांतों के माध्यम से विकसित एक आत्म-नियंत्रण सिद्धांत यह है कि जहां कोई प्रभावी और पर्याप्त वैकल्पिक उपाय उपलब्ध हो, वहां उच्च न्यायालयों को सामान्य रूप से रिट याचिका स्वीकार नहीं करनी चाहिए। साथ ही, यह भी याद रखना आवश्यक है कि केवल अपील या पुनरीक्षण का वैकल्पिक उपाय उपलब्ध होना, जिसे उच्च न्यायालय के समक्ष अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का आह्वान करने वाले पक्षकार ने नहीं अपनाया है, उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को समाप्त नहीं करता और रिट याचिका को 'अस्वीकार्य' नहीं बनाता। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई निर्णयों में यह स्पष्ट किया है कि वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता रिट याचिका की 'स्वीकार्यता' पर पूर्ण प्रतिबंध के रूप में कार्य नहीं करती, बल्कि यह केवल नीति, सुविधा और विवेक का नियम है, न कि विधि का एक अनिवार्य नियम। यह दोहराना आवश्यक है कि 'स्वीकार्यता' और 'स्वीकार्यता' के बीच एक स्पष्ट अंतर है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। 'स्वीकार्यता' पर आपत्ति मूल विषय से जुड़ी होती है और यदि यह आपत्ति ठोस पाई जाती है, तो न्यायालय उस विवाद को विचारार्थ ग्रहण करने में असमर्थ हो जाएगा। दूसरी ओर, 'स्वीकार्यता' का प्रश्न पूरी तरह से उच्च न्यायालयों के विवेकाधिकार के अंतर्गत आता है, क्योंकि रिट उपाय एक विवेकाधीन उपाय है। कोई रिट याचिका, भले ही वह स्वीकार्य हो, फिर भी कई कारणों से उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं की जा सकती, या यहां तक कि यदि याचिकाकर्ता ने एक ठोस विधिक आधार प्रस्तुत किया हो, तब भी राहत से इनकार किया जा सकता है यदि यह सार्वजनिक हित को आगे नहीं बढ़ाती। अतः, केवल इस आधार पर कि याचिकाकर्ता ने वैकल्पिक उपाय का सहारा नहीं लिया, बिना यह जांचे कि

क्या ऐसा कोई असाधारण मामला बनाया गया है, जिसके कारण रिट याचिका स्वीकार की जानी चाहिए, उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका को खारिज करना उचित नहीं होगा।"

6. *पिछले सदी के अंत में, इस न्यायालय ने अपने निर्णय के पैरा 15 में, जो (1998) 8 एससीसी 1 (व्हर्लपूल कॉर्पोरेशन बनाम रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड मार्क्स, मुंबई) में रिपोर्ट किया गया, उन अपवादों को स्पष्ट किया था जिनके आधार पर यदि पक्ष ने अधिनियम द्वारा प्रदान किए गए वैकल्पिक उपाय का पालन नहीं किया है, तब भी एक रिट न्यायालय रिट याचिका को स्वीकार करने के लिए उचित ठहराया जा सकता है। यह निम्नलिखित प्रकार से है:*

(i) जहां रिट याचिका में किसी भी मौलिक अधिकार के प्रवर्तन की मांग की जाती है;
(ii) जहां प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया हो;
(iii) जहां आदेश या कार्यवाही पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र से बाहर हो; या
(iv) जहां किसी अधिनियम की वैधता को चुनौती दी जाती हो।

7. *हाल ही में, इस न्यायालय ने अपने निर्णय में, जो 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 884 (सहायक आयुक्त, राज्य कर बनाम वाणिज्यिक स्टील लिमिटेड) में रिपोर्ट किया गया, उसी सिद्धांतों को पैरा 11 में पुनः व्यक्त किया है।*

8. इसके अलावा, हम इस न्यायालय के निर्णयों का भी संदर्भ ले सकते हैं, जो (1977) 2 एस सी सी 724 (उत्तर प्रदेश राज्य बनाम इंडियन ब्लूम पाइप कंपनी लिमिटेड) और (2000) 10 एस सी सी 482 (संघ भारत बनाम हरियाणा राज्य) में रिपोर्ट किए गए हैं। पहले निर्णय को सामान्य रूप से पढ़ने पर यह प्रतीत होता है कि यह निर्धारित करना कि कोई विशेष आइटम बिक्री कर अधिनियम की किसी प्रविष्टि में आता है या नहीं, एक शुद्ध कानूनी प्रश्न है और यदि तथ्यों की जांच की आवश्यकता नहीं है, तो उच्च न्यायालय अपने विवेकाधिकार से रिट

याचिका स्वीकार कर सकता है, भले ही वैकल्पिक उपाय का पालन नहीं किया गया हो; और जब तक विवेकाधिकार का प्रयोग अव्यावहारिक या विपरीत नहीं होता, इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। दूसरे निर्णय में, इस न्यायालय ने पाया कि अपीलीय पक्ष द्वारा उठाया गया मुद्दा पूरी तरह से कानूनी था और इसे उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय लिया जाना चाहिए, बिना अपीलीय पक्ष को वैधानिक अपीलों की प्रक्रिया से गुजराए। इन निर्णयों से यह निष्कर्ष निकलता है कि जहां विवाद केवल कानूनी प्रश्नों का है और इसमें तथ्यों को लेकर विवादित प्रश्न नहीं हैं, तो इसे उच्च न्यायालय द्वारा तय किया जाना चाहिए, बजाय इसके कि रिट याचिका को वैकल्पिक उपाय उपलब्ध होने के आधार पर खारिज कर दिया जाए।

18. इस मामले में, यह न्यायालय अब तथ्यात्मक पहलुओं की जांच करने की प्रक्रिया में है, ताकि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि क्या वर्तमान रिट याचिका को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 29 के तहत उपलब्ध उपाय के आधार पर खारिज किया जा सकता है।

19. यहां यह संदर्भित करना आवश्यक है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 29, जैसा कि सीसीएल के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया, एक कार्यवाही को लागू करने की प्रक्रिया है।

20. इसलिये, इस न्यायालय का मानना है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 29 को कार्यवाही लागू करने की प्रक्रिया नहीं कहा जा सकता, बल्कि यह धारा उस स्थिति में अपराधी अभियोजन की शुरुआत करने के लिए है जब पुरस्कार का क्रियान्वयन/उल्लंघन नहीं किया जाता।

21. इस मामले के तथ्यों को देखते हुए, क्या पेंशनधारक के वैधानिक अधिकार का कोई स्पष्ट उल्लंघन हुआ है या नहीं?

22. इस न्यायालय को यहां पेंशन के मुद्दे पर एक सिद्धांत को संदर्भित करना है, अर्थात पेंशन अब कोई कृपा नहीं है, बल्कि यह संबंधित व्यक्ति का अधिकार है,

जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने ***देवकी नंदन प्रसाद बनाम बिहार राज्य और अन्य*** के मामले में, जो ***(1971) 2 एस सी सी 330*** में रिपोर्ट किया गया, पैरा 33 में कहा है:

> *"33. उपर्युक्त निर्णयों का उचित ध्यान रखते हुए, हम यह राय व्यक्त करते हैं कि याचिकाकर्ता का पेंशन प्राप्त करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 31(1) के तहत संपत्ति है और केवल एक कार्यकारी आदेश के द्वारा राज्य को इसे रोकने का अधिकार नहीं है। इसी तरह, यह दावा भी संविधान के अनुच्छेद 19(1)(f) के तहत संपत्ति है और अनुच्छेद 19 के उप-धारा (5) द्वारा इसे बचाया नहीं जा सकता। इसलिए, यह कहा जा सकता है कि 12 जून 1968 का आदेश, जो याचिकाकर्ता को पेंशन प्राप्त करने का अधिकार नकारता है, संविधान के अनुच्छेद 19(1)(f) और 31(1) के तहत याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकार को प्रभावित करता है, और इस प्रकार अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका स्वीकार्य है। यह हो सकता है कि पेंशन अधिनियम (अधिनियम 23 of 1871) के तहत इस संबंध में किसी भी मुकदमे को सिविल न्यायालय में प्रस्तुत करने पर रोक हो, लेकिन यह राज्य को पेंशन भुगतान के लिए याचिकाकर्ता के दावे पर विधि अनुसार विचार करने का आदेश देने से रोकता नहीं है।"*

23. चूंकि पेंशन कोई कृपा नहीं है, बल्कि यह सेवा द्वारा अर्जित अधिकार है, इसलिये मुख्य मुद्दा पहले ही तय किया जा चुका है और जन्म तिथि के विवाद के संबंध में चल रहे मुकदमे को लोक अदालत की कार्यवाही में लिया गया है, अब यह उत्तरदाता सीसीएल के लिए वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता का आधार बनाना संभव नहीं है।

24. इसके अतिरिक्त, चूंकि यह न्यायालय सेवानिवृत्त व्यक्ति से संबंधित विषय पर विचार कर रहा है, जिसे भले ही 30.06.2008 से सेवानिवृत्त माना गया हो, लेकिन अब हम वर्ष 2024 में हैं, तो यदि इस रिट याचिका को प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज कर दिया जाता है, तो इससे याचिकाकर्ता के साथ न्यायिक त्रुटि होगी।

अतः, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि रिट याचिका स्वीकार करने योग्य है और तदनुसार, इस न्यायालय द्वारा पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत दलीलों के आधार पर याचिकाकर्ता की पात्रता से संबंधित तथ्यात्मक पहलुओं की जांच की जा रही है।

25. यहां स्वीकार्य तथ्य यह है कि सेवानिवृत्ति लाभ याचिकाकर्ता के पक्ष में जून, 1995 को सेवानिवृत्ति तिथि मानकर दिया गया था। याचिकाकर्ता ने अपनी जन्म तिथि के आधार पर इस सेवानिवृत्ति तिथि को विवादित किया है।

26. यह मामला अंततः 1947 के औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 12 के तहत सुलह विफल होने के बाद एक संदर्भ में परिणत हुआ, जो कि उचित सरकार द्वारा संदर्भ केस संख्या 58/1998 में प्रस्तुत किया गया था।

27. उक्त संदर्भ का उत्तर याचिकाकर्ता के पक्ष में, याचिकाकर्ता की जन्म तिथि 07.06.1948 को स्वीकार करते हुए, 30.06.2008 को सेवानिवृत्ति तिथि मानकर दिया गया।

28. औद्योगिक न्यायाधिकरण के उक्त निर्णय को इस न्यायालय के खंडपीठ के स्तर तक पुष्टि की गई है, जिसमें 06.07.2019 को डब्ल्यू.पी.(एल) संख्या 235/2014 में पारित आदेश को चुनौती दी गई थी। परिणामस्वरूप, इस न्यायालय के समकक्ष पीठ द्वारा उक्त निर्णय को एलपीए संख्या 109/2020 में भी पुष्टि की गई है।

29. यहां प्रश्न यह है कि जब जन्म तिथि का विवाद पहले ही सुलझा लिया गया है, तो फिर याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति तिथि 09.06.1995 मानने के अधिकार के संबंध में कोई सवाल नहीं हो सकता।

30. इस प्रकार, इस न्यायालय का मानना है कि वर्तमान रिट याचिका को स्वीकार किया जाना चाहिए।

31. परिणामस्वरूप, इस याचिका को स्वीकृत किया जाता है।

32. इसके परिणामस्वरूप, उत्तरदाता-सीसीएल को याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति तिथि 30.06.2008 मानकर सेवानिवृत्त लाभ और अन्य स्वीकार्य देनदारियों का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है।

33. इसी तरह का निर्देश सीएमपीएफ प्राधिकरण को भी दिया जाता है कि वह याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति तिथि 30.06.2008 मानकर सीएमपीएफ राशि का भुगतान करें।

34. याचिकाकर्ता के दावे के संबंध में आवश्यक दस्तावेज सीसीएल द्वारा सीएमपीएफ को अग्रेषित किए जाने की बात उत्तरदाता-सीएमपीएफ के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत की गई है।

35. उत्तरदाता-सीसीएल के अधिवक्ता श्री मुकेश बिहारी लाल ने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता के दावे से संबंधित आवश्यक दस्तावेजों को सीएमपीएफ प्राधिकरण को भेजा जाएगा।

36. उपर्युक्त प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित निर्देश दिए जा रहे हैं:-

(i) सीसीएल के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक को निर्देश दिया जाता है कि वे प्रार्थी की सेवानिवृत्त तारीख 30.06.2008 मानते हुए, बाकी शेष और अंतर राशि का भुगतान सुनिश्चित करें, जो कि देय बताई गई है, साथ ही यदि लागू हो तो देय ब्याज भी भुगतान किया जाए।

(ii) उत्तरदाता-सीसीएल को निर्देश दिया जाता है कि वे इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से तीन महीने के भीतर, भविष्य निधि राशि और पेंशन लाभ के भुगतान के उद्देश्य से, कोल माइंस प्रोविडेंट फंड अधिनियम, 1948 के तहत उपलब्ध योजना के अनुसार, सभी संबंधित दस्तावेजों के साथ पूरी गणना सीएमपीएफ प्राधिकरण को भेजें।

(iii) क्षेत्रीय आयुक्त, सीएमपीएफ-उत्तरदाता संख्या 5 को निर्देश दिया जाता है कि वे उपरोक्त निर्देशानुसार गणना और संबंधित दस्तावेजों की प्राप्ति की तिथि से छह सप्ताह के भीतर उक्त राशि का भुगतान सुनिश्चित करें। इस प्रकार, वर्तमान रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

37. अतः इस प्रकार, वर्तमान रिट याचिका निपटाई जाती है।

38. यदि कोई अंतरिम आवेदन लंबित हो, तो वही भी निपटाए जाते हैं।

(सुजीत नारायण प्रसाद, न्यायाधीश)

रोहित/-**एएफआर**

***यह अनुवाद मो. नसीम अख्तर पैनल अनुवादक (झारखंड उच्च न्यायालय, रांची) द्वारा किया गया।**